व्यापार की योजना

आय सृजन गतिविधि – (कटिंग और टेलरिंग))

द्वारा

लखदत्ता रोपी- स्वयं सहायता समूह

एसएचजी नाम	लखदत्त रोपी
वीएफडीएस नाम	मुलसु
रेंज	उरला
मंडल	जोगिंदर नगर

इसके तहत तैयार किया गया –

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना (जेआईसीए सहायता प्राप्त)

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक.
1.	परिचय	3
2.	विवरणएसएचजी/सीआईजी का	4
3.	लाभार्थियोंविवरण	5-6
4.	भौगोलिकगांव का विवरण	7
5.	बाजार की संभावना	7
6.	कार्यकारिणीसारांश	8
7.	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	8
8.	उत्पादन का विवरण प्रक्रिया	8
9.	संकट विश्लेषण	9
10.	विवरणसदस्यों के बीच प्रबंधन का	9
11।	विवरणअर्थशास्त्र का	9-10
12.	लागत लाभ का विश्लेषण	11
13.	स्वयं सहायता समूह में निधि प्रवाह व्यवस्था	11-12
14.	निधि के स्रोत	12
15.	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	13
16.	ब्रेक-ईवन बिंदु की गणना	13
17.	किनाराकर्ज का भुगतान	13
18.	निगरानीतरीका	13-14
19.	टिप्पणी	14
20.	समूह फोटो	15
21.	संकल्प-सह-समूह सर्वसम्मति प्रपत्र	16
21.	वीएफडीएस और डीएमयू द्वारा व्यावसायिक अनुमोदन	17

1. परिचय-

कटिंग और टेलरिंग को कपड़ों की सिलाई के रूप में भी जाना जाता है। कटिंग और टेलरिंग के इस कौशल का उपयोग सूट, रूमाल और सभी आयु समूहों के विभिन्न शैलियों के विभिन्न वस्त्र, घरेलू उत्पाद जैसे टेबल कवर, पर्दे, बेबी फैंसी ड्रेस आदि बनाने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण भारत की महिलाओं के बीच एक आम घरेलू गतिविधि है। अधिकांश महिलाएँ इस IGA से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वे अपने खाली समय में और साथ ही साथ अन्य घरेलू कामों के दौरान इसे खुशी-खुशी करती हैं। उनके द्वारा इसे स्वयं करने का एक कारण पैसा बचाना है। इस SHG की महिलाएँ अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही सक्रिय हैं। अब सदस्यों ने इस गतिविधि को IGA के रूप में चुना है ताकि वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पैसे कमा सकें और कठिन समय के लिए कुछ बचत भी कर सकें। SHG के रूप में पहले से मौजूद विभिन्न आयु समूहों की 9 महिलाओं का एक समूह JICA परियोजना का हिस्सा बनने के लिए एक साथ आया और एक व्यवसाय योजना तैयार करने का फैसला किया जो उन्हें सामूहिक रूप से इस IGA को लेने और अपनी अतिरिक्त आय बढ़ाने में मदद कर सके।

बाजार की संभावनाओं और विभिन्न पहलुओं पर बहुत सावधानी से चर्चा करने के बाद ही निर्णय लें। इस IGA (आय सृजन गतिविधि) में शामिल होना। लखदत्त रोपी SHG समूह ने सामूहिक रूप से कटिंग और टेलरिंग को अपनी आय सृजन गतिविधि (IGA) के रूप में करने का निर्णय लिया है। लखदत्त रोपी SHG का गठन फरवरी, 2022 में किया गया था और इसे हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका (JICA सहायता प्राप्त) के सुधार के लिए परियोजना के तहत भी शामिल किया गया है, जो VFDS मुलसू के अंतर्गत आता है। इस SHG में 9 महिलाएँ हैं। इन महिलाओं को पहले से ही कटिंग और टेलरिंग का थोड़ा अनुभव था और अब इस परियोजना के वित्तपोषण, प्रशिक्षण और सहायता की मदद से वे इस कौशल को विकसित करेंगी और पेशेवर बन जाएँगी। वे कपड़े सिलने में सक्षम होंगी और आत्मनिर्भर होंगी और आय उत्पन्न करेंगी। इस SHG की विस्तृत व्यवसाय योजना इसकी निवेश क्षमता, विपणन और प्रचार रणनीति के अनुसार तैयार की गई है और विस्तृत कार्य योजना पर नीचे चर्चा की जाएगी:

2. एसएचजी/सीआईजी का विवरण

1.	**एसएचजी/सीआईजी नाम**	**लखदात्ता रोपी**
2.	**वीएफडीएस**	**मुलसु**
3.	**श्रेणी**	**उरला**
4.	**विभाजन**	**जोगिंदर नगर**
5.	**गाँव**	**मुलसु**
6.	**अवरोध पैदा करना**	**पधर**
7.	**ज़िला**	**मंडी**
8.	**एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या**	**9 (महिला)**
9.	**गठन की तिथि**	**फरवरी-2022**
10.	**बैंक खाता सं.**	**31113905978**
11।	**बैंक विवरण**	**एसबीआई पधर**
12.	**एसएचजी मासिक बचत**	**450 (50 प्रति सदस्य)**
13.	**कुल बचत**	**2000**
14.	**कुल अंतर ऋण**	**--**
15.	**नकद क्रेडिट सीमा**	**-**
16.	**पुनर्भुगतान स्थिति**	**-**

3. लाभार्थियों का विवरण

क्रमां का।	सदस्यों का नाम एवं पता	पद का नाम	आयु	शिक्षा	लिंग	वर्ग/ पेशा	फोटो
1.	श्रीमती लता देवी पत्नी श्री सेवक राम गांव रोपी डाकघर ग्वाली तह. पधर जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) 82193-85443	अध्यक्ष	35	10 वीं	महिला	अनुसूचित जनजाति कृषि	
2.	श्रीमती लता देवी पत्नी श्री राम लाल गांव रोपी डाकघर ग्वाली तह. पाढर जिला. मंडी (हिमाचल प्रदेश) 78761-09264	सचिव	34	10 वीं	महिला	अनुसूचित जनजाति कृषि	
3.	श्रीमती कुशमा देवी पत्नी श्री दहलू राम गांव रोपी डाकघर ग्वाली तह. पाढर जिला. मंडी (हिमाचल प्रदेश) 86791-11934	सदस्य	28	10+2	महिला	अनुसूचित जनजाति कृषि	
4.	श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री सुनील कुमार गांव रोपी डाकघर ग्वाली तह. पाढर जिला. मंडी (हिमाचल प्रदेश) 98059-34858	सदस्य	27	10 वीं	महिला	अनुसूचित जनजाति कृषि	
5.	श्रीमती चंचला देवी रमेश चंद की पत्नी गांव रोपी डाकघर ग्वाली तह. पाढर जिला. मंडी (हिमाचल प्रदेश) 85809-11245	सदस्य	34	10 वीं	महिला	अनुसूचित जनजाति कृषि	

6.	श्रीमती भामा देवी पत्नी श्री जीवन लाल गांव रोपी डाकघर ग्वाली तह. पाढर जिला. मंडी (हिमाचल प्रदेश) 80914-71725	सदस्य	38	बी ० ए	महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग कृषि	
7.	श्रीमती बालो देवी पत्नी श्री कांशी राम गांव रोपी डाकघर ग्वाली तह. पाढर जिला. मंडी (हिमाचल प्रदेश) 86797-82140	सदस्य	53	---	महिला	अनुसूचित जनजाति कृषि	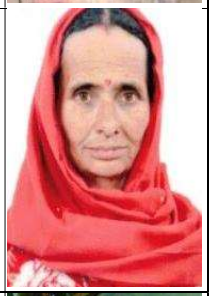
8.	श्रीमती जुध्या देवी पत्नी श्री काली दास गांव रोपी डाकघर ग्वाली तह. पाढर जिला. मंडी (हिमाचल प्रदेश) 78075-53855	सदस्य	34	10 वीं	महिला	अनुसूचित जनजाति	
9.	श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री बीरी सिंह गांव रोपी डाकघर ग्वाली तह. पाढर जिला. मंडी (हिमाचल प्रदेश) 62308-02247	सदस्य	50	8	महिला	अनुसूचित जनजाति	

4. गांव का भौगोलिक विवरण

1	जिला मुख्यालय से दूरी	35 किमी
2	मुख्य सड़क से दूरी	4 किमी
3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	4 किमी
4	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी	पधर 4 किमी
5.	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी	मंडी 35 किलोमीटर, जोगिंदर नगर 37 किलोमीटर
6	मुख्य शहरों का नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणन किया जाएगा	पधर

5. बाजार की संभावना

कटिंग और टेलरिंग का हुनर सीखने के बाद, यह लखदत्त रोपी SHG अपने इलाके और आस-पास के गांवों की स्थानीय आबादी को लक्षित करेगा। फैशन के तेजी से बढ़ने और बदलने के साथ बाजार की बहुत बड़ी संभावना है, सिलाई के कपड़ों की मांग पूरे साल रहेगी। अलग-अलग मौसम होते हैं और उनमें अलग-अलग तरह के कपड़ों की जरूरत होती है, जो यह भी सुनिश्चित करता है कि यह व्यवसाय टिकाऊ रहेगा क्योंकि पूरे साल मांग रहेगी। त्योहारों या शादियों के मौसम में इस SHG के ग्राहकों की संख्या में उछाल देखने को मिलेगा।

1	संभावित बाज़ार स्थान/स्थान	कवर किए गए गांव - रोपी और स्थानीय
2	सिलाई कार्य की मांग	वर्ष भर त्यौहारों और विवाह के अवसरों पर इसकी मांग अधिक रहती है।
3	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	समूह के सदस्य आस-पास के ग्रामीणों/परिवारों/संस्थाओं से संपर्क करेंगे।
4	विपणन रणनीति	स्वयं सहायता समूह के सदस्य सीधे तौर पर आस-पास के ग्रामीणों/परिवारों/संस्थाओं से ऑर्डर लेंगे (व्यक्तिगत स्तर/समूह स्तर)।

6. कार्यकारी सारांश

इस स्वयं सहायता समूह द्वारा कटिंग और टेलरिंग आय सृजन गतिविधि का चयन किया गया है। यह IGA इस SHG की सभी नौ महिलाओं द्वारा किया जाएगा। यह व्यवसायिक गतिविधि समूह के सदस्यों द्वारा सालाना की जाएगी। सदस्य इस गतिविधि को अलग-अलग कर रहे हैं, लेकिन अब वे अपने कौशल को बढ़ाने के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इस गतिविधि को थोड़े बड़े पैमाने पर और योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए हाथ मिला रहे हैं। इस समूह द्वारा शुरुआत में विभिन्न प्रकार के सूट सिलने का काम किया जाएगा। ग्राहकों की मांग के अनुसार सूट सिलने का काम किया जाएगा।सदस्यों के बीच श्रम विभाजन की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई है, ताकि प्रत्येक सदस्य आईजीए को मजबूत करने में योगदान दे सके और परिणामस्वरूप अतिरिक्त धन उनकी जेब में आ सके।

7. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

1	उत्पाद का नाम	सिले हुए सूट, बेबी फैंसी ड्रेस
2	उत्पाद पहचान की विधि	समूह के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है
3	एसएचजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	हाँ

8. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण

1	समय लिया	एक सूट तैयार करने में लगभग 3-4 घंटे लगते हैं।
2	शामिल महिलाओं की संख्या	सभी महिलाएं
3	कच्चे माल का स्रोत	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार
4	अन्य संसाधनों का स्रोत	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार
5	प्रतिदिन अपेक्षित सिले हुए सूट	शुरुआत में 5 सूट

9. संकट विश्लेषण

कौशल आधारित

मांग संचालित

अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार

10. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

आपसी सहमति से स्वयं सहायता समूह के सदस्य कार्य को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी तय करेंगे। सदस्यों के बीच उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य का बंटवारा किया जाएगा।

कुछ लोग कटाई में लगे होंगे, कुछ लोग सिलाई में लगे होंगे, कुछ लोग सिले हुए सूटों की अंतिम फिनिशिंग में लगे होंगे, और कुछ लोग अंतिम उत्पाद की उचित इस्त्री और पैकिंग में लगे होंगे।

11. अर्थशास्त्र का विवरण –

A. **पूंजीगत लागत**

क्र. सं.	विवरण	मात्रा	यूनिट मूल्य	राशि (रु.)
1.	सिलाई मशीन	9	8000	72000
2.	इंटरलॉक मशीन	1	8000	8000
3.	दर्जी कैंची	9	500	4500
4.	टेलरिंग रूलर सेट	9	600	5400
5.	सिलाई दर्जी टेप	9	100	900
6.	लौह प्रेस	3	1200	3600
7.	सीलिंग फैन	1	2000	2000
8.	एल्युमिनियम रैक	3	3000	9000
9.	कांटा	4 सेट	240	960
10.	कुर्सियों	9	1500	13500
11।	काउंटर/कपड़ा काटने की मेज	1	4000	4000
कुल प्रति व्यक्ति लागत:-				**1,23,860**

बी. आवर्ती लागत					
क्र. सं.	विवरण	इकाई	मात्रा	यूनिट मूल्य	कुल राशि (रु.)
1.	सिलाई धागे, बटन, ज़िप, मार्कर आदि	उत्तर	रास	रास	3,000
2.	कमरे का किराया	महीना	1	1000	1,000
3.	पैकेजिंग सामग्री	महीना	रास	रास	1,500
4.	अन्य (परिवहन, स्टेशनरी, बिजली बिल, मशीन मरम्मत)	महीना	रास	रास	1,000
कुल आवर्ती लागत (बी) = 6,500					

नोट – समूह के सदस्य स्वयं कार्य करेंगे, इसलिए श्रम लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। शामिल किया गया है और सदस्य आपस में कार्यसूची का प्रबंधन करेंगे पालन किया।

प्रत्येक महिला प्रतिदिन 4-5 घंटे काम करेगी।

सी. उत्पादन लागत (मासिक)		
क्र. सं.	विवरण	मात्रा
1.	कुल आवर्ती लागत	6,500
2.	पूंजीगत लागत पर 10% वार्षिक मूल्यह्रास	12,386
	कुल = 18,886	

डी. विक्रय मूल्य गणना			
क्र. सं.	विवरण	इकाई	मात्रा
1	साधारण सूट	1	250-300
2	अन्य (प्लाज़ो, बेबी फैंसी ड्रेस आदि)	1	350-400

12. लागत लाभ विश्लेषण (मासिक)

लागत लाभ विश्लेषण (मासिक)		
क्र. सं.	विवरण	मात्रा
1	पूंजीगत लागत पर 10% वार्षिक मूल्यह्रास	12,386
2	कुल आवर्ती लागत	6,500
3	प्रति माह कुल सिले हुए सूट	270 (लगभग मात्रा)
4	सिले हुए सूट का विक्रय मूल्य (प्रति सूट)	300
5	आय पीढ़ी	81,000
6	शुद्ध लाभ (आय सृजन - आवर्ती लागत)	74,500
7	शुद्ध लाभ का वितरण	✓ लाभ को मासिक/वार्षिक आधार पर सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। ✓ लाभ का उपयोग आईजीए में आगे निवेश के लिए किया जाएगा

13. स्वयं सहायता समूह में निधि प्रवाह व्यवस्था

क्र. सं.	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान 75%	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	1,23,860	92,895	30,965
2	कुल आवर्ती लागत	6,500	0	6500
3	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन।	50,000	50,000	0
कुल		180360	142895	37465

टिप्पणी:

i) पूंजीगत लागत- 75% पूंजीगत लागत परियोजना द्वारा तथा 25% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी। (समूह के सभी सदस्य विशेष लक्षित समूह अर्थात अनुसूचित जनजाति से हैं)

ii) आवर्ती लागत - स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।

iii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

14. निधि के स्रोत

परियोजना समर्थन	✧ यदि सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीब महिला वर्ग से हैं तो परियोजना द्वारा पूंजी लागत का 75% वहन किया जाएगा। यदि सदस्य सामान्य वर्ग से हैं तो परियोजना द्वारा पूंजी लागत का 50% वहन किया जाएगा। ✧ स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में 1 लाख रुपए तक की धनराशि जमा की जाएगी। ✧ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत। ✧ 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे डीएमयू द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। स्वयं सहायता समूहों को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा।	खरीद मशीनों/उपकरणों का आवंटन सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा किया जाएगा।
एसएचजी योगदान	✧ सामान्य श्रेणी और अन्य श्रेणियों के लिए पूंजीगत लागत का 50% या 25% क्रमशः स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। ✧ यदि समूह महिला समूह है तो पूंजीगत लागत का 25% परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। ✧ आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।	

15. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- ✧ कच्चे माल की लागत प्रभावी खरीद
- ✧ गुणवत्ता नियंत्रण
- ✧ पैकेजिंग और विपणन
- ✧ वित्तीय प्रबंधन

16. ब्रेक-ईवन बिंदु की गणना

= पूंजीगत व्यय/(विक्रय मूल्य (प्रति सूट)-उत्पादन लागत (प्रति सूट))

=1,23,860/ (300-100)

= 620

इस प्रक्रिया में 620 सूट सिलने के बाद ही लाभ-हानि प्राप्त की जाएगी।

17. बैंक ऋण चुकौती

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- ✧ सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- ✧ सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।
- ✧ परियोजना सहायता - 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे डीएमयू द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी तथा यह सुविधा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। एसएचजी/सीआईजी को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा।

18. निगरानी विधि

- ❖ वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- ❖ स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

निगरानी के लिए कुछ प्रमुख संकेतक इस प्रकार हैं:

- ✧ समूह का आकार
- ✧ निधि प्रबंधन
- ✧ निवेश
- ✧ आय पीढ़ी
- ✧ उत्पाद की गुणवत्ता
- ✧

19. टिप्पणी

सदस्य निम्न आय वर्ग से संबंधित हैं और वे 25% योगदान कर सकते हैं और परियोजना को वहन करना होगा शेष 75%.

वीएफडीएस मुलसू के तहत एसजीएच लखदत्ता रोपी की तस्वीरें

Resolution-cum-Group-consensus Form

It is decided in the General house meeting of the group Lakhdatta Ropai held on 29-04-22 at Mulsu that our group will undertake the cutting & tailoring as Livelihood Income Generation Activity under the Project for Implementation of Himachal Pradesh Forest Ecosystem management and Livelihood (JICA assisted).

Signature Of group President Lata Devi

secretary Lata Devi

Signature Of group

Lata Devi
Lata Devi
Judhya Devi
लीला देवी
Kusma Devi
Sarda Devi
Bhama Devi
Chanchla Devi

Signature of President VFDS

Bhagi Ram

प्रधान
ग्राम वन विकास समिति मुलसू
ग्राम पंचायत गवाली तह. पधर
जिला मण्डी (हि.प्र.)

Business Plan Approval by VFDS

Lakhdatta Ropi Group will undertake the Cutting & Tailoring Income Generation Activity under the Project for implementation of Himachal Pradesh Forest Ecosystem management and Livelihood (JICA assisted) in this regard business Plan of Amount Rs. 1,80,360 has been submitted by the group on 29-04-22 and the Business Plan has been approved by VFDS Mulsu.

Business Plan is submitted to DMU through FTU for further action please

Thank You.

Lata Devi
Signature Of group President

Signature Of group Secretary
Lata Devi

प्रधान [illegible] सचिव
स्वयं सहायता समूह [illegible]
ग्रा0 चबाली डा0 पधर जिला मण्डी हि0प्र0

Signature Of group
Lata Devi
Lata Devi
Judhya Devi
लीला देवी
Kusma Devi
Sarla Devi
Bhagra Devi
Chanchla Devi

Signature of President VFDS
Bhagle Ram.
प्रधान
ग्राम वन विकास समिति मूलसू
ग्राम पंचायत चवाली तह. पधर
जिला मण्डी (हि.प्र.

Approved

DMU cum DFO Joginder Nagar

D.M.U.-Cum-
Divisional Forest Officer
Joginder Nagar